न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 542 सन 2019
अनवान :–

1. धर्मपाल सिह पुत्र नन्दलालसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 20/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 173/115 के खसरा न0 312/2 की 2.2370हैक खसरा न0 327/1.9600हैक कुल 5.1970हैक भूमि स्थित है।

जिसमें वादी का नाम धर्मपालसिह के स्थान पर बलीवरसिह कतई गलत तौर से दर्ज किया गया है जबकि वादी का सही नाम धर्मपाल सिह हे राजस्व रिकार्ड में कतई गलत तौर से बलवीरसिह अंकित किया गया है

वादी का नाम वाद भूमि में गलत तौर से बलवीर सिह दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्व रिकार्ड में बलवीरसिह के स्थान पर धर्मपालसिह दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी किसान क्रेडिट कार्ड राज्य सराकर के द्वारा दी जाने वाली सुविधाऐं खाद बीज का ऋण सिचाइ व्यवस्था के लिये डिग्गी का अनुदान आदि में परेशानी होती है।

वादी के समस्त दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आम आदमी का पहचान पत्र , एसबीआई बैक की बैक पास बुक सभी दस्तावेजात में वादी का नाम धर्मपाल सिह पुत्र नन्दलाल सिह अंकित है संरपच ग्राम पंचायत नीमला के प्रमाण पत्र के अनुसार वादी का नाम भी धर्मपालसिह पुत्र नन्दलालसिह है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से राजस्व रिकार्ड में अन्य काश्तकारों का हिस्सा कम या ज्यादा नही होता है केवल राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु निवेदन किया किन्तु इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना कें खाता संख्या 173/115 की कुल 5.1970हैक भूमि में वादी का नाम बलवीर सिह पुत्र नन्दलाल सिह दर्ज है के स्थान पर धर्मपालसिह पुत्र नन्दलाल सिह संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 173/115 के खसरा न0 312/2 की 2.2370हैक खसरा न0 327/1.9600हैक कुल 5.1970हैक भूमि स्थित है।

जिसमें वादी का नाम धर्मपालसिह के स्थान पर बलीवरसिह कतई गलत तौर से दर्ज किया गया है जबकि वादी का सही नाम धर्मपाल सिह हे राजस्व रिकार्ड में कतई गलत तौर से बलवीरसिह अंकित किया गया है

वादी का नाम वाद भूमि में गलत तौर से बलवीर सिह दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्व रिकार्ड में बलवीरसिह के स्थान पर धर्मपालसिह दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 173/115 के खसरा न0 312/2 की 2.2370हैक्ट खसरा न0 327/1.9600हैक्ट कुल 5.1970हैक्ट भूमि स्थित है में वादी का नाम सयुक्त खातें में बलवीरसिह पुत्र नन्दलालसिह अंकित है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय धर्मपालसिह के स्थान पर बलवीर सिह दर्ज किया गया है सही नाम धर्मपालसिह है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक सभी में वादी का नाम धर्मपालसिह पुत्र नन्दलालसिह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत नीमला के अनुसार भी वादी का सही नाम धर्मपालसिह है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/रिपोर्ट के आधार पर वादी का सही नाम धर्मपालसिह होना प्रतित होता है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत नीमला के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 173/115 के खसरा न0 312/2 की 2.2370हैक्ट खसरा न0 327/1.9600हैक्ट कुल 5.1970हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें वादी का नाम बलवीरसिह पुत्र नन्दलाल सिह अंकित है के स्थान पर के स्थान पर धर्मपाल सिह उर्फ बलवीर सिह पुत्र नन्दलाल सिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. धर्मपाल सिह पुत्र नन्दलालसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 542 सन 2019 निर्णय दिनांक- 20/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 173/115 के खसरा न0 312/2 की 2.2370हैक्‍ खसरा न0 327/1.9600हैक्‍ कुल 5.1970हैक्‍ भूमि स्थित है जिसमें वादी का नाम बलवीरसिह पुत्र नन्दलाल सिह अंकित है के स्थान पर के स्थान पर धर्मपाल सिह उर्फ बलवीर सिह पुत्र नन्दलाल सिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)